

28/8/25

पत्रावली पेश हुई वकील जार्जी उपस्थित।  
विपक्षी के समान नोटिस शामिल होकर  
प्राप्त हुए बावजूद शामिल के नोटिस उपस्थित  
नहीं हुए हैं पत्रावली वस्तु आदिश में दिनांक  
11.9.25 को पेश हो।

*[Signature]*  
28/08/25

11.9.25

पत्रावली पेश हुई/वकील समय पत्र एवं  
गवाह श्री..... कार्य को रजिस्ट्रार  
उपस्थित..... क्रिया-पत्रावली  
.....  
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 16/10/25  
को पेश हो।

*[Signature]*

16/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित।  
विपक्षी संख्या 1 को वकील जार्जी द्वारा  
रजिस्ट्रार के पास ले शामिल करवाई गई।  
बावजूद शामिल के उपस्थित नहीं होने से  
इसके निकट एक पक्षीय कार्यवाही का  
अन्तिम किया जाता है। वकील जार्जी को  
एक पक्षीय बख्त को सुना गया।  
वकील जार्जी ने बख्त में कथन किया  
गया कि मैंने आपसदरी पत्रावली प्राप्त  
भायेली बागलियाग के संख्या संख्या 222 में  
वर्ष 18/2, 25-7/3, 64/2,  
65/2, जिला असाजी 4 कुल संख्या 4.1200 है।  
अभी जार्जी को पैतृक सुनने की है जिसमें  
जार्जी का 1/4 एक हिस्सा होने से जार्जी ने  
रजिस्ट्रार को दायता देना पड़ा पेश किया गया  
है। एक अधिका की दायता मूल वारंट में  
एक होगा। पत्रावली पत्र में वर्णित वारंट  
असाजी की मीमा एवं राजस्व रिकार्ड की  
प्रतिस्थापित हुए बख्त में कथन किया गया  
है। पत्रावली का भव्यकरण कर परीक्षण किया  
गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि जार्जी  
का जार्जीना पत्र धारा 22 धार. श्री ए का  
स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है। अतः  
न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तावित  
संस्थापित सिधेघाटा का रजिस्ट्रार आदेश  
दिनांक 24.6.2025 को मूल वारंट के  
अनुसार होने एक कन्वर्न किया जाएगा  
जार्जी सिधेघाटा आदेश सुनाया गया  
पत्रावली केसल द्वारा एक नम्बर  
ले काम हो।



उपस्थित अधिकारी  
डूंगला  
जिला-चित्तौड़गढ़

